दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सामाजिक समस्याओं एवं उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अध्ययन

आनन्द दाईमा
पी एच. डी. शोधार्थी (समाजशास्त्र)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, म. प्र

सारांश :– *झाबुआ और अलीराजपुर जिले में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की समस्या अन्य व्यक्तियों की तुलना में जटिल है, क्योंकि यहां पर सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण परिवार में दृष्टिबाधित व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। झाबुआ और अलीराजपुर जिले में कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हित में कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है जिसमें प्रमुख रूप से झाबुआ और अलीराजपुर जिले के संदर्भ में ही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।*

कुंजी शब्दः– **दृष्टिबाधित, सामाजिक समस्या, संचालित योजना, कल्याण केन्द्र।**

प्रस्तावना :– भारत में दृष्टिगत रूप से असमर्थ लोगों की संख्या 40 लाख से 140 लाख तक है यह अंतर इसीलिए है कि दृष्टिगत असमर्थ लोगों का स्वीकृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है अर्थात उनके अधिकार समान है। जो शारीरिक रूप से निरूशक्त अथवा किसी भी अंग से अक्षत होते हैं। जैसे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति उसका उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता या ह्रास हो गया है, किन्तु समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजनाएं निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है।

दृष्टिबाधित अथवा दृष्टिहीनता के अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड (ए.एस.बी. 1961), इनसाइक्लोपीडिया आफ स्पेशल एजुकेशन (1997) और चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार जिसकी दृष्टि क्षीणता यदि समुचित सुधारों के बावजूद 20/200 फीट या 6/60 मीटर तक रह जाती है वह दृष्टिबाधित समझा जाता है। अर्थात सामान्य आंख 20 फीट की दूरी से ज्यादा नहीं देख सकती है, दृष्टिबाधित इसे केवल 20 फीट की दूरी तक ही देख सकते हैं। दृष्टिबाधित बालकों में समायोजन की क्षमता का अभाव होता है। वे कभी भी आने जाने में असमर्थता अनुभव करते हैं जिनमें आत्मा विश्वास की कमी हो जाती है। भविष्य के प्रति ऐसे बालक अधिक चिंतित होते हैं। कमजोर नजर वाले बालक, अपर्याप्त दृष्टिकोण के कारण आदि विभिन्न कारणों से दृष्टिकोण बाधित हो जाते हैं जिनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

शोध समस्या का चयन :– दृष्टिबाधित विकलांग व्यक्तियों की जानकारी जिसमें झाबुआ और अलीराजपुर जिले के दृष्टिबाधित पुरुष एवं महिला का अध्ययन किया गया है। उक्त दोनों जिलों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इनमें 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं। उक्त जिलों के हजारों लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी पर भी अपना भरण पोषण करते हैं। सामाजिक दृष्टि से कुछ पुरातन परंपराओं में बंधे हैं। अधिकांश लोग निरक्षर हैं। शराब पीना इनकी आदत है जिसके कारण आर्थिक दुष्प्रभावों से त्रस्त हैं। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा आम बात है। रहन–सहन निम्न कोटि का है। इस प्रकार से अभावग्रस्त स्थिति में कष्टकारी जीवन यापन करते हैं। समाज में जाति/उपजाति गत भेदभाव अधिक है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के विकास हेतु प्रभावी कारकों का

अध्ययन किया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामाजिक विकास की नीतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन करना और उनके विकास की उपयुक्त संभावनाओं का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

1. दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सामाजिक समस्याओं का का अध्ययन करना।
2. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कल्याण स्थापित करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की जानकारी का अध्ययन करना।
3. दृष्टिबाधित के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र :– मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में झाबुआ और अलीराजपुर जिला है। जो विंध्यांचल और सतपुड़ा की तलहटी में बसा हुआ है। झाबुआ जिले में 6 विकासखंड हैं झाबुआ, रामा, पेटलावद, थांदला, मेघनगर,राणापुर । जिले का कुल क्षेत्रफल 3247 वर्ग किलोमीटर है। जिले में 779 आबाद ग्राम है तथा 377 ग्राम पंचायतें हैं तथा 6 जनपद पंचायत हैं। अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,677 हैं। जिले का क्षेत्रफल 3,142 वर्ग किलोमीटर हैं। तीन तहसीलें हैं तथा 6 विकासखंड है। जिले की ग्रामों की संख्या 443 है जिसमें 538 आबाद ग्राम है। प्राय रू दोनों जिलों में जनजातीय आबादी 87 प्रतिशत है। बहुत सारी दोनों जिलों की बातें समान है। दोनों जिलों में कुछ प्रारंभिक समस्याएं देखने को मिलती है उदाहरण के लिए दोनों जिलों में औद्योगिक क्षेत्र काफी कम है। दोनों जिलों के जनजातीय लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक समान रहते हैं। जिनके आदतें, रीति रिवाज, रस्म, त्यौहार, रहन–सहन खान–पान, पहनावा सब कुछ सामान है। जिले में भील भिलाले तथा पटलिया उपजाति निवास करती हैं। दोनों जिलों ज्वार, बाजरा, मक्का तथा खरीफ में गेहूं आदि की फसलें लेते हैं। जनजातीय लोगों में आज भी ऊंच–नीच व छुआछूत की भावना है। दोनों जिलों में भिलाला और पटलिया उपजाति के लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं। दोनों जिलों में कुछ सामाजिक कुप्रथाएं विद्यमान है जिसमें डाकन आदि प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। दोनों जिलों में कृषि भूमि अत्यंत नहीं या नहीं के बराबर है इसलिए अक्सर बारिश के बाद ठंड के मौसम के बाद निकटस्थ गुजरात राज्य में आजीविका के लिए पलायन करते हैं।

अध्ययन का समग्र :– अध्ययन क्षेत्र में निवासरत् समस्त दृष्टिबाधित विकलांग व्यक्ति को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई :– अध्ययन क्षेत्र के दिए हुए समग्र में से अध्ययन इकाई का चयन कर दृष्टिबाधित विकलांग व्यक्ति को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

निर्दशन :– झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले के अंतर्गत दृष्टिहीन न्यादर्शो सर्वेक्षणात्मक स्थिति का अध्ययन निम्नानुसार किया गया है। झाबुआ जिले में 5 विकासखंड क्रमशः झाबुआ, राणापुर, मेघनगर, थांदला और पेटलावद है जिनके कूल 150 न्यादर्शो का सर्वेक्षणीय अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही अलीराजपुर जिले के तीन विकास खंडों के 150 दृष्टिबाधित न्यादर्शो का सर्वेक्षणीय अध्ययन किया गया है। अलीराजपुर में 89, जोबट 31 और भाबरा में 30 न्यादर्शो को लिया गया है।

तालिका 1.1

अध्ययन क्षेत्र में से न्यायदर्श का चयन

क्र.	जिला	दृष्टिबाधित	चयनित न्यादर्श
1	झाबुआ	2193	150
2	अलीराजपुर	9471	150
	कुल योग	11664	300

आंकड़े एकत्रित करने के स्त्रोत :–

प्राथमिक स्त्रोतों में साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, समूह चर्चा की गई। तथ्य संकलन के दौरान, घर–घर जाकर उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया गया एवं प्रश्नावली के अनुसार उत्तरदाता परिवार की स्थिति, उत्तरदाता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई। प्रस्तुत सर्वेक्षण में अवलोकन साक्षात्कार अनुसूची, कैमरा, रिकॉर्डर, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन आदि उपकरणों का सहयोग लिया गया। **द्वितीयक स्त्रोतों** में दृष्टिबाधितो के कल्याण व पुनर्वास के लिए चलाई जा रही विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए तथ्य अर्थात प्राथमिक समंको की जानकारी जुटाई गई। दृष्टिबाधितों के संबंध में विस्तृत प्रदत पुस्तकों की, वार्षिक रिपोर्ट, शोध साहित्य, शोध पत्रिकाएं, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई।

सारणीयन एवं विश्लेषण :–

झाबुआ एवं अलीराजपुर दोनों जिलों के प्राथमिक समंकों के अध्ययन एवं विभिन्न बिंदुओं के आधार पर सारणीयन कर उक्त दोनों जिलों के दृष्टिबाधित व्यक्तियों की स्थिति, उनकी समस्याएं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। दृष्टिबाधितों की शैक्षणिक स्थिति और उनके विभिन्न क्रिया कलाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इन सब के साथ दृष्टिबाधितों के कल्याण के लिए बनाई गई योजना का उल्लेख एवं योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभ से वंचित होने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सारणीयन के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका 1.2

उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

आयु वर्ग	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
18–28	84	108	192	63.37
28–38	29	18	47	15.51
38–48	37	14	51	17.00
48–58	0	10	10	3.33
योग	150	150	300	100.00

दोनों जिलों के दृष्टिबाधितों (पुरुष एवं महिला सहित) 203 में से 192 में आयु वर्ग 18–28 में कुल प्रतिशत 67.37 सर्वाधिक है। 38–48 वर्ग की संख्या 51 है, जो दूसरे क्रम पर है और 28–38 आयु वर्ग के लोग 47 है, जिनका प्रतिशत 15.51 है।

तालिका 1.3

दृष्टिबाधितों के वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

वर्ग विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	145	138	283	94.34
अनुसूचित जाति	05	07	12	4.00
सामान्य वर्ग	0	05	05	1.66
योग	150	150	300	100.00

उक्त तालिका के अनुसार दोनों जिलों के 300 न्यादर्शों में से 283 न्यादर्श में से 286 न्यादर्श अनुसूचित जनजाति के हैं। जिनका प्रतिशत 94.34 है जो सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति में मात्र 12 न्यादर्श हैं। जिनका प्रतिशत 4.00 है तथा सामान्य वर्ग में मात्र अलीराजपुर में 05 न्यादर्श हैं जिनका प्रतिशत 1.66 है जो न्यूनतम है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जनजाति में दृष्टबाधित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इनके कारणों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है।

तालिका 1.4

दृष्टिबाधितों की वैवाहिक स्थिति का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
विवाहित	50	41	91	30.36
अविवाहित	100	109	209	69.64
योग	150	150	300	100.00

दोनों जिलों के 300 न्यादर्शों में 91 केवल विवाहित है जिनका प्रतिशत 30.36 है तथा 209 अविवाहित है जिनका प्रतिशत 69.64 है। इससे यह दिखाई देता है कि अविवाहित दृष्टबाधितों की संख्या सर्वाधिक है। संभवतः दृष्टिबाधित होने से विवाहितों की संख्या कम है।

दृष्टिबाधित होने का कारण

इस तालिका में यह दर्शाया गया है कि दृष्टि बाधित होने की अवधि कितनी है। या जन्म से दृष्टिबाधित या जन्म के बाद किसी बीमारी या किसी कुपोषण कमी की वजह से उनमें अन्धत्व आया है। इसलिए जन्म से और जन्म के पश्चात् के रूप में ही अंधत्व की दशा में आ गये हैं।

तालिका 1.5

जन्म के समय या जन्म के पश्चात् दृष्टिबाधित होने की स्थिति का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
जन्म से	43	64	107	35.66
जन्म के बाद से	107	86	193	64.34
योग	150	150	300	100.00

दोनों जिलों में जन्म से दृष्टिबाधित लोगों की संख्या 300 में से 107 है जिनका प्रतिशत 35.66 है तथा जन्म के पश्चात् 300 में से 193 है जिनका प्रतिशत 64.34 है। इससे यह सिद्ध होता है कि जन्म के पश्चात् दृष्टि बाधित होने की संख्या अधिक दृष्टिबाधितों से यह प्रश्न पूछा गया था कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को किस प्रकार की समस्या अधिक होती

है? जिससे उनकी दृष्टिबाधित होने के कारण उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक अथवा उक्त सभी समस्याएँ उन्हें झेलना पड़ती है।

तालिका 1.6

दृष्टिबाधित व्यक्तियों को होने वाली समस्या के प्रकारों का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
शारीरिक	18	11	29	9.64
मानसिक	24	16	40	13.34
आर्थिक	30	34	64	21.33
सामाजिक	17	47	64	21.33
उक्त सभी	61	42	103	34.33
योग	150	150	300	100.00

दोनों जिलों के दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सर्वाधिक समस्या 300 में से 103 को उक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका प्रतिशत 34.33 है जो सर्वाधिक है। लेकिन दूसरे क्रम पर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 21.33 प्रतिशत है। तीसरे क्रम पर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है वह दूसरों पर ही आर्थिक रूप से अधिक निर्भर होते हैं। मानसिक रूप से 300 में से 40 लोगों को मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है जिनका प्रतिशत 13. 34 प्रतिशत है। सबसे कम प्रतिशत9.64 शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए शासन की योजनाओं जानकारी निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 1.7

दृष्टिबाधितों के लिए शासन की योजनाओ की जानकारी

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
सुरक्षा पेंशन	59	06	65	21.64
सामाजिक सुरक्षा	61	77	138	46.00
विकलांक छात्रवृति	0	11	11	03.64
नौकरी मे रियायत	0	01	01	0.33
जानकारी नहीं	20	09	32	10.66
योजनाओं की जानकारी है	10	46	56	18.66
योग	150	150	300	100.00

उक्त तालिका में सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु दृष्टिबाधित हितार्थ सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की है। इस तालिका से 300 न्यादर्शो में से 138 लोगों को ही सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी है जिनका प्रतिशत 56. 00 है, जो सर्वाधिक है। 65 लोगों को सुरक्षा पेंशन की जानकारी है जिनका 21.64 है द्य जो दूसरे क्रम पर है। ऊक्त सभी पेंशन सुविधाओं को जानकारी 56 लोगों की है जिनकी प्रतिशत 18.66 है। केवल 11 छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति की जानकारी दी है। वह भी केवल अलीराजपुर जिले में है। झाबुआ जिले में विकलांग छात्रवृत्ति की जानकारी नहीं होना दर्शाया है।

तालिका 1.8

सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने वाले लोगों की जानकारी

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
सुरक्षा पेंशन	73	73	146	48.67
सामाजिक सुरक्षा	46	46	92	30.67
विकलांग छात्रवृति	01	01	02	0.67
नौकरी मे रियायत	03	03	06	2.00
सभी सुविधाओं का लाभ लिया	09	09	18	6.00
लाभ नहीं लिया	18	18	36	12
योग	150	150	300	100.00

दृष्टिबाधित 300 विकलांगों में से मात्र 146 लोगों को ही सुरक्षा पेंशन मिलती है जिनका प्रतिशत 48.67 है जो सर्वाधिक है। दूसरे क्रम पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 92 लोगो को मिलती है जिन का प्रतिशत 30.67 है। इस प्रकार कम से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो सभी दृष्टिबाधित लोगों को मिलना चाहिए। ताकि आजीविका कष्टप्रद नहीं होगी। झाबुआ और अलीराजपुर में दृष्टिबाधित कल्याण केंद्र की दृष्टिबाधितों और उनके अभिभावकों को जानकारी है या नहीं है।

तालिका 1.9

झाबुआ और अलीराजपुर में दृष्टिबाधित कल्याण केंद्र की दृष्टि बाधितों की स्थिति

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
हाँ	110	116	226	75.34
नहीं	40	34	74	24.66
योग	150	150	300	100.00

उक्त तालिका के अनुसार 300 दृष्टिबाधित में 226 लोगों को दृष्टिबाधित कल्याण केंद्र की जानकारी है जिन का प्रतिशत 75.34 जो सर्वाधिक है। 300 में से केवल 24.66 लोगों के इसकी जानकारी नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि दृ ष्टिबाधित को इस कल्याण केंद्रों की जानकारी है। लेकिन कुछ कारणों से वे उनका अधिकतम लाभ नहीं ले पाते। उक्त कारणों के बारे में न्यादर्शो के अभिभावकों ने उन केंद्रों तक आना जाना और उससे पर्याप्त सहायता लेना आर्थिक कठिनाइयों के कारण संभव नहीं होता है। जिनकी आय अत्यंत सीमित है। साथ में दृष्टिबाधित व्यक्ति को कल्याण केंद्र तक आने जाने के लिए एक अभिभावक की जरूरत होती है। इससे उनके सहायक को मजदूरी स्थगित करना पड़ती है। दूसरा एक और कारण यह बताया कि आजीविका के लिए वर्ष के 6 माह से अधिक समय अन्यत्र करना अनिवार्य होता है इसीलिए भी दृष्टिबाधित लोग मजदूरी खोटी होने से वे कल्याण केंद्रों तक नहीं जा पाते है। यद्यपि दृष्टिबाधित लोग इन लोगों के प्रति जागरूकता है। पर जागरूक होना पर्याप्त नहीं होता। पारिवारिक स्थिति भी आर्थिक स्थिति भी दृष्टिबाधितो के लिए सहायक प्रतीत नहीं होती है।

तालिका 1.10

दृष्टिबाधितो के निराश्रितों का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
हाँ	93	95	188	62.67
नहीं	57	55	112	37.33
योग	150	150	300	100.00

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 62.67 प्रतिशत लोग निराश्रित नहीं है। और 37.33 प्रतिशत लोग निराश्रित है। जिनके लिए उचित आश्रय की अपेक्षा है। झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के पालकों ने किस – किस के माध्यम से सत्ता से सम्पर्क किया।

तालिका 1.11

पालकों द्वारा संस्थाओं से संपर्क करने का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
प्राइवेट	17	06	23	7.67
सरकारी	60	91	151	50.33
गैर सरकारी	25	25	50	16.67
अशासकीय	32	24	20	6.67
नहीं किया	16	04	20	6.67
योग	150	150	300	100.00

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सरकारी संस्थाओं पालकों ने उनसे संपर्क किया। 300 न्यादर्शो के पालकों ने इनसे संपर्क किया। जिनका प्रतिशत 50.33 है। केवल 20 लोगों ने किसी भी माध्यम से दृष्टिबाधितों के पालको से सम्पर्क नहीं किया। जिन का प्रतिशत 6.67 है जो न्यूनतम है। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश पालकों ने दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति जागरूकता का परिचय दिया है।

तालिका 1.12

दृष्टिबाधितों की गरीबी रेखा की स्थिति का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
हाँ	88	108	196	65.33
नहीं	62	42	104	34.67
योग	150	150	300	100.00

दोनों जिले आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, क्योंकि 300 में से 196 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करते हैं। जिनका प्रतिशत 65.33 हैं मात्र 34.67 लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है।

तालिका 1.13

बैंक बचत खाते की स्थिति का विवरण

विवरण	झाबुआ	अलीराजपुर	कुल	प्रतिशत
पोस्ट ऑफिस	02	0	02	0.66
सोसायटी/समिति	05	0	05	1.67
बैंक ग्रामीण विकास	135	100	235	78.33
बचत बैंक नहीं	05	22	27	9.00
बचत बैंक खाता है	03	28	31	10.33
योग	150	150	300	100.00

300 में से 235 लोगों ने बैंक का खाता है जिन का प्रतिशत 78.33 हैं । सुरक्षत शेष में मात्र 2 है जिनका प्रतिशत 0.66 है । 27 लोगों ने कोई खाता नहीं खोला जिनका प्रतिशत 9.00 हैं। झाबुआ और अलीराजपुर जिले के दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां। आयु वर्ग की दृष्टि से 11 व्यक्ति सामाजिक रुप से परिवार पर ही आश्रित है इसलिए कोई विशेष सामाजिक योगदान प्राप्त नहीं है।

विवाहित लोग सामाजिक स्थिति से संतुष्ट होना प्रतीत होता है – किंतु विवाहित होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका। कुछ अविवाहित न्यादर्शो ने अविवाहित होने के कारण में से एक प्रमुख कारण वधू – मुख्य नहीं दे सकते, क्योंकि दृष्टिबाधित की आर्थिक स्थिति दयनीय है। दोनों जिले के दृष्टिबाधितों का मोबाइल फोन होने संबंधी जानकारी प्राप्त की। जिनसे यह ज्ञात हो सकता है कि मोबाइल धारकों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है।

सुझाव :–

- इस प्रकार के दृष्टिहीन बच्चों को विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण हेतु निशुल्क ब्रेल लिपि सिखाई जाती है। शासन की ओर अभिभावकों को उचित ध्यान देना चाहिए जिससे लड़के शिक्षित होकर वे भी विकास की धारा से जुड़ सकते हैं।
- अभिभावकों के परिवार की स्त्रियों के रहन–सहन और साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- गर्भवती स्त्रियों की ओर गर्भावस्था में उचित पोषण आहार देना चाहिए और हमेशा गर्भवती की शारीरिक स्वच्छता और घर के आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए।
- अभिभावकों को चाहिए जन्मदाता स्त्री के बच्चों की विशेष देखभाल करनी चाहिए।
- जन्म के पश्चात प्रसूता की उचित देखभाल और सभी प्रकार की व्यवस्था की जाना जरूरी है।
- जनजातियों में बहुत ही परंपरागत प्रथाएं हैं। जो हानिकारक है जिसमें शराब का प्रचलन अत्यंत हानिकारक है।
- इस प्रकार की परंपराओं में परिवर्तन की जरूरत है । तभी दृष्टिबाधित और अन्य प्रकार के विकलांगों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

- **धर्मावत, ईशा (2010)**, ''मंद अभिगमकों का शैक्षणिक अनुसन्धान, अध्ययन आदतों हीनता भावनाओं और आत्मविश्वास के विशेष सन्दर्भ मैं", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि., जयपुर।
- **सचान, अमर सिंह (1990),** "मंद बच्चों की उचित देखभाल", वॉल्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- **गर्ग, सत्यम (2011),** "निःशक्तता बेबसी नहीं है", भारतीय पक्ष, मुरैना।
- **प्रसाद, कविता (2011),** "निःशक्तता और समाज : उड़ते अहसास'', सफदरगंज, नई दिल्ली।
- **केशवन, पी. (1988),** "ए स्टडी ऑफ पेरेंट्स ऑफ विजुवली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टुवर्ड्स वेयर चिल्ड्रन हु आर विजुवली हैंडीकैप्ड'', लघु शोध प्रबन्ध, श्री आर. एम. वी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन।
- **डिसूजा, एल. (1980),** "फ्यूजन एक्साइटी ऑफ पेरेंट्स विथ फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड'', स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, बम्बई।
- **दादू, जे. (1981),** "ए स्टडी ऑफ पैरेंट पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंटली हैंडीकैप्ड चिल्डर्न'', गुजरात वी. वी. अहमदाबाद।
- **धनराज, डी. एस. (1969),** "द प्रॉब्लम ऑफ विजुअली हैंडीकैपेड एंड देअर रिहैबलिटेशन", द सोशल साइंस रिव्यु, वॉल्यूम नंबर 1।